न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां(राज.)

पीठासीन अधिकारीः—कृष्ण गोपाल जोजन आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 60/2019 **दायर दिनांकः 09/05/2019**

उनवान

1. सलीम आयु 38 वर्ष पुत्र एलीक जाति ईसाई निवासी पिपलोद तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92''ए'' आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :—

वादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री भगवान स्वरूप मंगल।

आदेश

दिनाक : 25/09/2019

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादी ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92''ए'' आर.टी.एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल पिपलोद तहसील अटरू जिला बारां राज0 में मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 के अनुसार खाता संख्या 33 की ख0नं0 686 रकबा 0.55 है0 भूमि स्थित चली आ रही है। जो खातेदार एडिक्टन बेसली पुत्र सेमुऐल बेसली के दर्ज खाता चली आ रही है। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि का खातेदार नाओलाद था। वादी ने उसके जीवनकाल में उसकी सेवा सुश्रुषा की तथा वादी के पास रहकर जीवन व्यापन किया। खातेदार एडीक्टन बेसली ने उसके खाते की भूमि की नाओलाद होने से वादी के पक्ष मे गवाहान के समक्ष एक वसीयत निष्पादित कर दी थी। खातेदार एडीक्टन बेसली का स्वर्गवास दिनांक 21.06.2017 को आराजी को हो चुका था। वादी ने वसीयत के आधार पर वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि पर श्रीमान तहसीलदार साहब अटरू को नामान्तरण दर्ज करने का निवेदन किया तो उनने सक्षम न्यायालय मे कानूनी कार्यवाही करने की हिदायत दी। वाद पत्र की मद नं0 1 मे वर्णित भूमि पर वादी का कब्जा चला आ रहा है तथा खातेदार की वसीयत के आधार पर वादी इस भूमि का खातेदार कृषक घोषित होकर राजस्व रिकार्ड में इसका अंकन करवाने का अधिकारी है जो बिना सहायता न्यायालय करवाया जाना सम्भव नही है। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से तथा वाद मे आवश्यक पक्षकार होने से उसे प्रतिवादी बनाया गया है। राजस्थान सरकार को धारा 80 सी0पी0सी0 का नोटिस प्रेषित किया जाना आवश्यक है लेकिन नोटिस प्रेषित कर उसकी अवधि समाप्ति का इन्तजार किया गया तो वादी को

अनेकानेक विवादों में उलझना पडेगा जिससे उसको अपरिमित क्षति होगी इसलिये धारा 80 सी0पी0सी0 के पृथक से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय की स्वीकृति से यह वाद पेश किया जा रहा है। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी ग्राम पिपलोद तहसील अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को इस वाद को सुनने का क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद कारण दिनांक 10.04.2019 को श्रीमान तहसीलदार साहब अटरू द्वारा वसीयत के आधार पर वादी के पक्ष में नामान्तरण दर्ज करने से मना करने पर बमुकाम उत्पन्न हुआ।। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ठ के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश है। जो माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार में है तथा अवधि मध्य है।

अतः वाद पेश कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादी निम्न आशय की डिकी पारित फरमाई जावें:–

(अ) वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि का वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड मे इसका अंकन करवाया जावें।

(ब) वादी के शातिपूर्ण कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जर्ये सम्मन की गई, प्रतिवादी को जवाब दावा हेतु समुचित अवसर दिये जाने पर भी जवाब दावा पेश नही किया गया प्रतिवादी का जवाब दावा बंद किया गया। साक्ष्यवादी के तहत PW_1 से PW_3 के शपथ पत्र पेश किये तथा रिकार्ड पर प्रदर्श अंकित किये, ओर साक्ष्यवादी पेश नही करने के कारण साक्ष्यवादी बंद किये गये। अभिभाषक वादी की बहस सुनी अभिभाषक वादी द्वारा वाद में अंकित बिन्दुओं को दोहराया तथा निवेदन किया कि एडिक्टन वेसली पुत्र सेमुएल बैसली द्वारा दिनांक 13.04.2017 को वादी के पक्ष में ग्राम पिपलोद की खाता संख्या 33 ख0नं0 686 रकबा 0.55 है0 भूमि की वसियत की थी, जिसके आधार पर वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जावें।

अभिभाषक वादी को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया वादी द्वारा प्रदर्श वसियत नामा0 व नकल जमाबन्दी प्रदर्श 2 जमाबन्दी संवत 2073–2076 तथा खातेदार एडिक्टन पुत्र सेमुएल बैसली का मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 23.10.2018 पेश किया गया है। साक्ष्यवादी PW_2 से PW_3 द्वारा शपथ पत्र में ग्राम पिपलोद की रकबा संख्या 686 रकबा 0.55 है0 भूमि ऐडिक्टन जी के

खाते दर्ज थी जिनका स्वर्गवास हो चुका है। एडीक्टन के भाई ऐलीक के पुत्र सलीम के पास रहकर एडीक्टन जीवन यापन करते थे उनके कोई औलाद नही थी एडीक्टन जी मरने से पूर्व एक वसीयत सलीम पुत्र एलीक के पक्ष मे लिखवाई थी जो महेन्द्र कुमार मेसी ने लिखी थी जिस पर एडिक्टन ने E To D हस्ताक्षर मेरे सामने किये थे।

प्रस्तुत रिकार्ड व साक्ष्य के आधार पर वादी का वाद स्वीकार योग्य है।

—:क्रियात्मक आदेशः—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम पिपलोद की खाता संख्या 33 की ख0नं0 686 रकबा 0.55 है0 वसीयत नामें के आधार पर वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25.09.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कृष्ण गोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री कृष्ण गोपाल जोजन (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)
प्रकरण सं0 60/2019

उनवान

1. सलीम आयु 38 वर्ष पुत्र एलीक जाति ईसाई निवासी पिपलोद तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92''ए'' आर.टी.एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....X................. रूबरू...............X...............................
बहाजिर :–
वादी:– विद्वान अभिभाषक श्री भगवान स्वरूप मंगल।
मिनजानित मुदई रूबरू ....X...
मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम पिपलोद की खाता संख्या 33 की ख0नं0 686 रकबा 0.55 है0 वसीयत नामें के आधार पर वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(कृष्ण गोपाल जोजन)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X...................... मुबालिक ....X................ बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ...... X.. फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X................. .... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 25.09.2019 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान			मिजान

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishna Gopal Jojan
Date: 2019.10.21 15:50:18 IST
Reason: SelfAttested
Location: